BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL PRINCIPAL BENCH NEW DELHI

O.A. 1308 OF 2024

IN THE MATTER OF :-

BIJENDER KUMAR ....Applicant

Versus

UTTARAKHAND POLLUTION CONTROL BOARD & ORS.

..Respondents

L.D.O.H: 3.12.24

N.D.O.H: 02.1.25

INDEX

S.No.	Particulars	Pages	
01.	A/ 1 (COLLY) ADDITIONAL DOCUMENTS LETTERS / ORDERS AND PHOTO COPY OF PENDRIVE SUBMITTED ON BEHALF OF APPLICANT .	01-11	
		—	
02.	VAKALATNAMA	ON RECORD	

NEW DELHI APPLICANT

DATED: 21.12.2024 THROUGH

NEERAJ KUMAR SHARMA (ADVOCATE)
116 KAUTILYA APARTMENT, SECTOR 14,
DWARKA, NEW DELHI-110078
Mobile No. 08860051899
e-MAIL: adv.nk15@gmail.com

flood plain

(01)

ANNEXURE A/1

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड मायापुर, हरिद्वार–249401
(फोन नं0 01334 221510 ई मेल eeharidwar@gmail.com)

पत्रांक – 1579 / सिं0ख0ह0/ म्यूनिफि   दिनांक 19.5.22

सेवा में,

जिलाधिकारी,
हरिद्वार।

विषय – **राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की अनुबन्धित फर्म Line Departments को विभागीय नियम/शर्तों के अन्तर्गत 03 (तीन) वर्ष हेतु कैम्प/कास्टिंग यार्ड कंक्रीट मिक्सिंग प्लान्ट की स्थापना हेतु वैरागी कैम्प में स्थित खाली 50000 वर्ग मीटर भूमि अस्थायी रूप से दिये जाने की अनुमति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय पत्र सं0–511/जि0भू0व्य0सहा0–2022(399) दिनांक 17 मई 2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने की कृपा करें। अवगतनीय है कि उत्तर प्रदेश शासन के पत्र सं0–3402/02–27–सी–3/लखनऊ दिनांक 31.10.2002 द्वारा उत्तराखंड सिंचाई विभाग को 697.576 हैक्टे0 भूमि हस्तान्तरित की गयी है, जिसमें कनखल बगीचा नाम से वैरागी कैम्प स्थित भूमि 19.375 हैक्टे0 भूमि सम्मिलित है (शासनादेश की छाया प्रति संलग्न) तथा उपजिलाधिकारी, हरिद्वार ने अपने पत्र सं0–758/एस0टी0–उ0जि0ह0, दिनांक 09.03.2007 द्वारा वैरागी कैम्प स्थित 134.50 हैक्टे0 भूमि सिंचाई विभाग के प्रबन्धन की बतायी गयी है (संलग्नक–02)। वैरागी कैम्प स्थित भूमि गंगा नदी द्वारा छोड़ा गया भाग है, जो बिना बन्दोबस्ती भूमि है, राजस्व अभिलेखों (खसरा खतौनी) में संचित नहीं है। जिसका प्रबन्धन एवं नियन्त्रण सिंचाई विभाग उत्तराखंड का है। यह भी सूचनीय है कि उक्त सम्बन्ध में जिला शासकीय अधिवक्ता (सिविल) हरिद्वार की विधिक राय भी संलग्न है (संलग्नक–03)।

अतः उपरोक्तानुसार आख्या प्रेषित है।

संलग्नक – उपरोक्तानुसार,

भवदीय

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, हरिद्वार।

पत्रांक – / सिं0ख0ह0 / तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मुख्य अभियन्ता स्तर–2, सिंचाई विभाग हरिद्वार।
2. अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल हरिद्वार।
3. उपराजस्व अधिकारी, सिंचाई खण्ड, हरिद्वार।

अधिशासी अभियन्ता,
सिंचाई खण्ड, हरिद्वार।

T.C

(62) (11)

तहसीलदार महोदय

ग्राम मायापुर व शेखूपुरा उर्फ कनखल परगना ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार की गंगा की सीमा के पार अर्थात मायापुर स्केप चैनल (गंगा की धारा) जो डाम कोठी नं० 1 के पास से होती हुई दक्ष मन्दिर कनखल की ओर जाती है। के शरब की ओर बैरागी कैम्प व सतीद्वीप के नाम से जानी जाने वाली हजारो बीघा भूमि है। यह भूमि हरिद्वार कुम्भ मेले के प्रयोजन के लिए सुरक्षित है। उक्त भूमि का राजस्व अभिलेखों में कोई उल्लेख नहीं है। यह भूमि बिना बन्दोबस्त की भूमि है। जो मूलतः राज्य सरकार की सम्पत्ति है। जो सिंचाई विभाग के प्रबन्धन में आती है। इस भूमि की सर्वे शीट भी सिंचाई विभाग में उपलब्ध है। इसके विषय में पूर्व में संयुक्त टीम सिंचाई विभाग व वन विभाग व राजस्व विभाग द्वारा पैमाईश कराकर पूर्व लेखपाल द्वारा विस्तृत अवैध रूप से काबिज व्यक्तियों की रिपोर्ट तैयार की गई थी जो संलग्न है। इसी पर आपके द्वारा दिनांक 5.1.06 को दिये गये आदेशो के अनुपालन में शेष अतिक्रमण कर्ताओं की भी संयुक्त सर्वे टीम गठित करके पैमाईश कराई गई। पैमाईश में पूर्व लेखपाल द्वारा प्रदत्त अतिक्रमण कर्ताओं की सूची के अतिरिक्त शेष बचे 128 परिवार ऐसे चिन्हित किये गये जो झुग्गी झोपड़ी डालकर अतिक्रमण किये हुए है। इनकी सूची भी संलग्न की जा रही है। पैमाईश का नक्शा जो वन विभाग सर्वेयर द्वारा तैयार किया गया है के अनुसार उक्त बिना बन्दोबस्त की भूमि का क्षेत्रफल 134.80 हेक्टेयर है।

अतः महोदय अतिक्रमणकर्ताओं के विरुद्ध सम्बन्धित सिंचाई विभाग को आदेशित करने की कृपा करें कि वे अतिक्रमण कर्ताओं के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करें। विस्तृत अतिक्रमण एवं पैमाईश की आख्या सेवा में प्रेषित है।

[signature]
2/3/07
रा०नि० (ज्वालापुर)

22/3/07 [illegible]

उपजिलाधिकारी
हरिद्वार

महोदय,

राजस्व निरीक्षक ज्वालापुर की उपरोक्त जाँच आख्यानुसार बैरागी कैम्प में स्थित मूल बिना बन्दोबस्ती भूमि है जिसका राजस्व अभिलेखों में कोई कोई भी इन्द्राज नहीं है, उक्त भूमि पर संलग्न सूची में दर्ज व्यक्तियों के द्वारा अवैध कब्जा किया गया है, उक्त भूमि सिंचाई विभाग के प्रबन्धन में है, पैमाईश सिंचाई विभाग, राजस्व विभाग एवं वन विभाग के सर्वेयर के द्वारा संयुक्त रूप से की गयी है, अवैध अतिक्रमणकर्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही हेतु सिंचाई विभाग को लिखा जाना उचित होगा, पैमाइश सम्बन्धी नक्शा मूल में व रिपोर्ट व सूची के संलग्न है।

अतः रिपोर्ट आवश्यक अग्रिम कार्यवाही हेतु सेवा में प्रेषित,

[signature]
05.03.07
तहसीलदार (H)

ST
Dy'etatcen

Photo Copy Attested
[signature]
मिलेदार
सिंचाई खण्ड हरिद्वार

26-3-07

TC

(03)

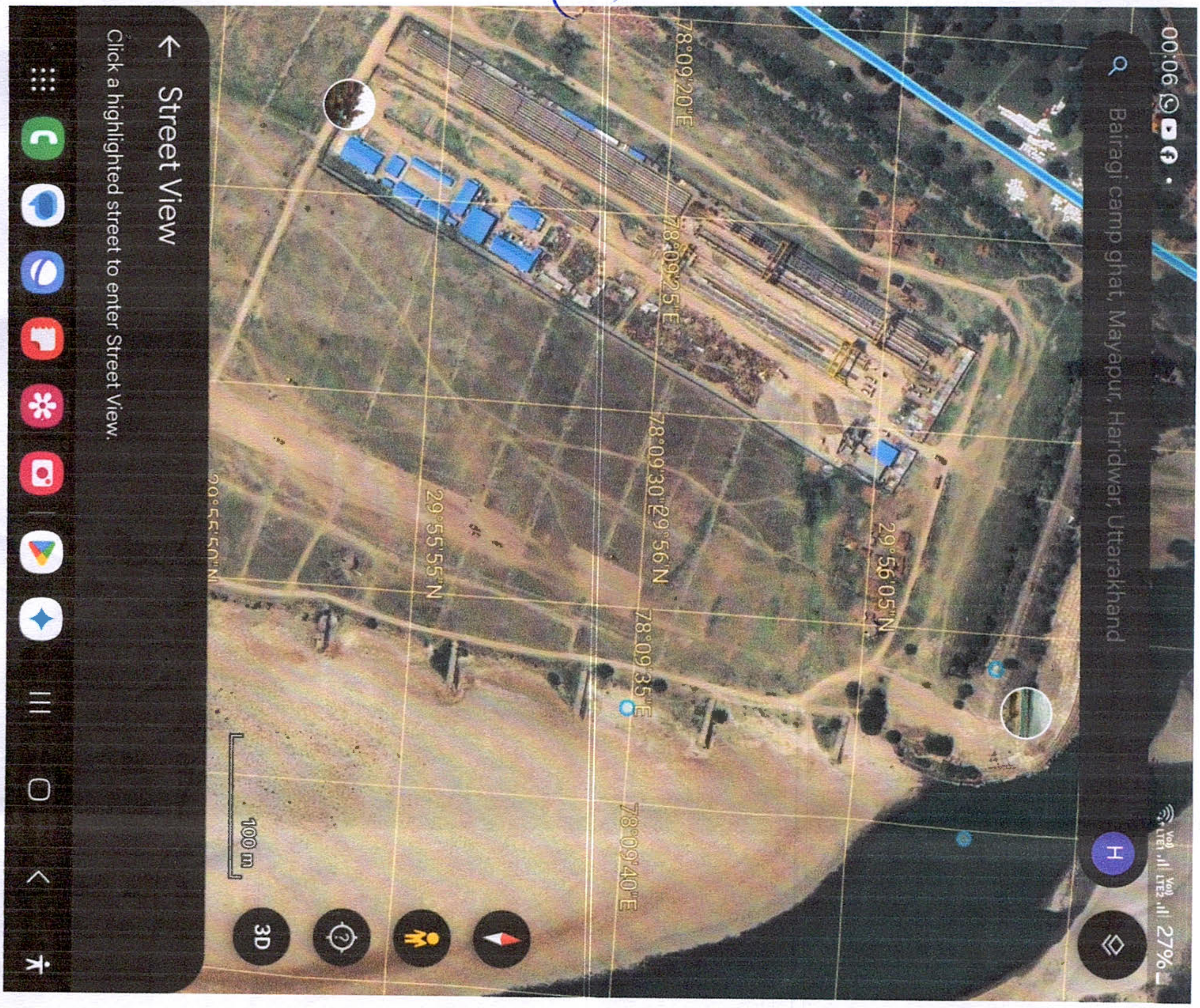
00:06
27%
Bairagi camp ghat, Mayapur, Haridwar, Uttarakhand
78°09'20"E
78°09'25"E
78°09'30"E
78°09'35"E
78°09'40"E
29°56'05"N
29°56'N
29°55'55"N
100 m
3D
Street View
Click a highlighted street to enter Street View.

T.C

(04)

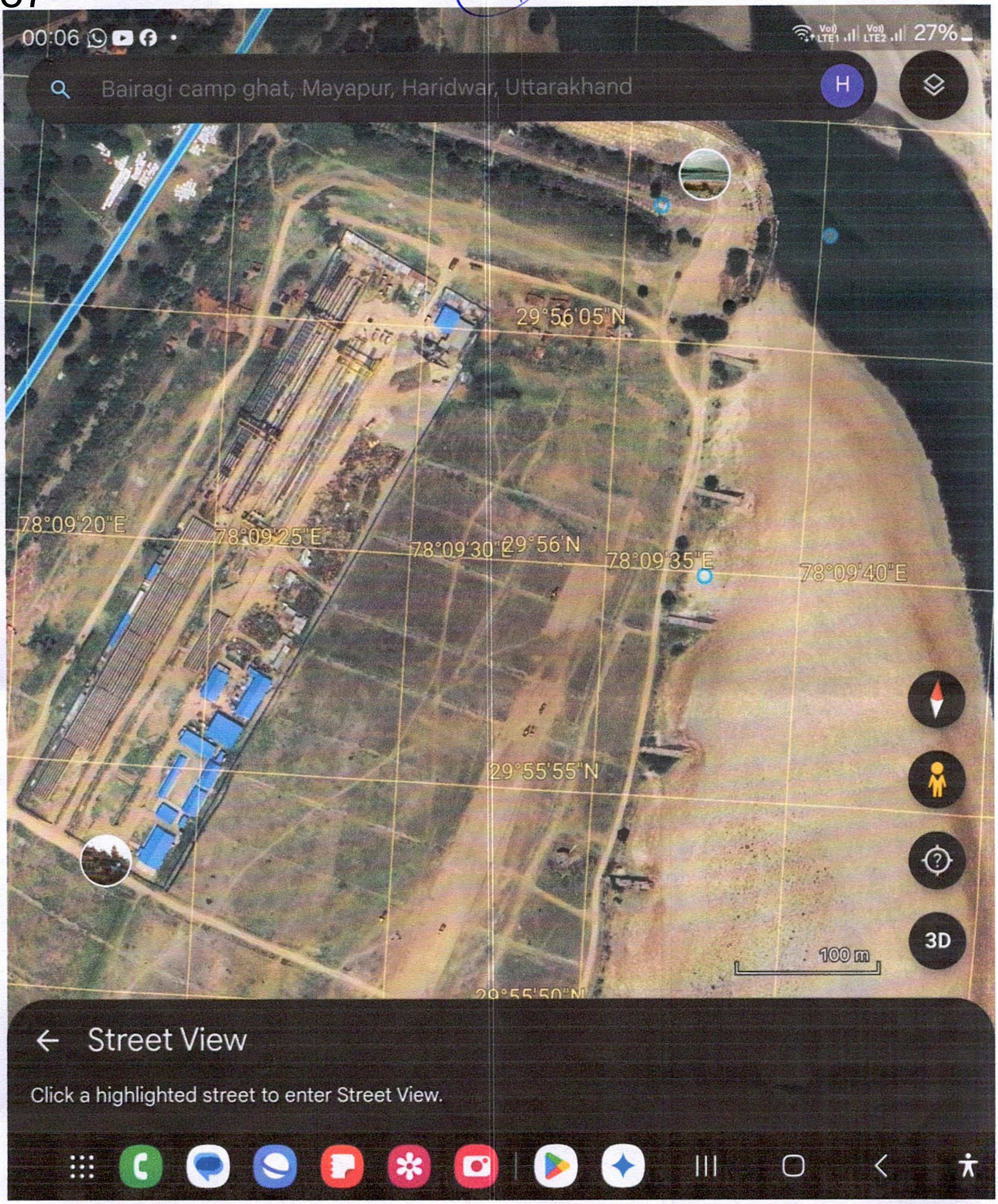
00:06
27%
Bairagi camp ghat, Mayapur, Haridwar, Uttarakhand
H
29°56'05"N
78°09'20"E
78°09'25"E
78°09'30"E
29°56'N
78°09'35"E
78°09'40"E
29°55'55"N
3D
100 m
29°55'50"N
Street View
Click a highlighted street to enter Street View.

T.C

05

कार्यालय : कक्ष नम्बर 18
जिला एवं सत्र न्यायाधीश परिसर
हरिद्वार
निवास : 22/(224), सिविल लाईन, रूड़की
जनपद हरिद्वार
☎ : 272-566, 279566

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खंड हरिद्वार

महोदय,

कृपया अपने पत्रांक 673/ सी ख0. ह0. /पी-4 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें प्रश्नगत् प्रकरण में लेखपाल की आख्या के द्वारा यह अवगत कराया गया है कि ग्राम मायापुर के खसरा न0- 592 /625/1 से लगायत 592/625 के अन्तिम बटे तक शेखूपुरा कनखल के खसरा न0 246 एवं 247 देवपुरा एतमाल के बार व पांच जो कि भूमि गैर बन्दोबस्ती है मे निर्माण आदि किए जा चुके हैं। नियमतः जो भूमि जलमग्न या रिवर बैड नदी द्वारा छोडा गया भाग जो कि नदी के रूप मे इस्तेमाल हुआ हो, और हो रहा हो, को बन्दोबस्त से बाहर रखा जाता है। परन्तु उपरोक्त भूमि या तो सम्बन्धित राज्य सरकार अथवा सम्बन्धित ग्राम सभा स्वत स्वामित्व वाली भूमि है। जिसका स्वामित्व राज्य सरकार है। क्योंकि उपरोक्त भूमि उत्तराखंड राज्य के क्षेत्र मे है इसलिए इसको उत्तराखंड राज्य की ही मानी जायेगी। नियमो के अनुसार यदि ऐसी किसी भूमि पर अतिक्रमण कर लिया गया है तो उत्तर प्रदेश पब्लिक प्रमिसिज एक्ट के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी / उपजिला अधिकारी के यहां वाद दायर करके उपरोक्त भूमि का अध्यासन धारा-5 के अन्तर्गत क्षति पूर्ति प्राप्त की जा सकती है। ऐसी परिस्थितियो मे उचित होगा कि जिन अध्यासियो के द्वारा पक्के निर्माण आदि कर लिए गये है उपरोक्त के अनुसार कार्यवाही की जाये। जिन्होने अस्थाई तौर पर कब्जा किया हुआ है उन्हे बिना किसी विधिक कार्यवाही के हटाया जा सकता है। भविष्य मे यह भी सतत प्रयास किया जाए कि उपरोक्त भूमि पर कोई पक्का निर्माण न होने पावे।

D.R.O. को रिपोर्ट देने हेतु लिखें
स0 अ0 / अ0

डायरी संख्या 927
तारीख 1/5/07

Attested

Sanjeev Ghusiyal
Advocate
Civil Court Roorkee

89

CONGRESS LOK SABHA YEARENDER 2024 JAMMU KASHMIR

National

Live NATIONAL WORLD SPORTS ENTERTAINMENT LIFESTYLE HEALTH STATE

ETV Bharat / State

200 trapped as flood waters inundate NHAI plant in Uttarakhand's Haridwar

The trapped people alleged lack of help from the district administration forcing the NHAI to launch the rescue operation on their own.

Uttarakhand floods

By

Published : Aug 14, 2023, 6:26 PM IST

Haridwar (Uttarakhand): Amid incessant rains in the Himalayan state Uttarakhand leading to rise in the water level of the Ganga, at least 200 workers at plant of the

T.C

National Highways Authority of India (NHAI) plant at Bairagi camp in Haridwar were trapped in the flood waters on Monday, officials said. Sources said that the workers were working inside the plant of the NHAI when the gushing flood waters inundated the premises thereby trapping the workers inside.

Also read: Rain fury in Uttarakhand leaves 3 dead, defense training academy collapses, Chardham Yatra suspended

Soon a rescue operation was launched by the rescuers to evacuate the workers and shift them to safer locations. However the gushing waters hindered the rescue operation, an official said. The trapped employees said that as soon as they saw the water entering into the premises of the plant, they promptly informed the district administration to send an SOS for help.

However, the district administration officials did not react promptly to their distress call forcing the local NHAI officials to launch a rescue operation on their own, the trapped employees said. The incessant rains in Uttarakhand have created a flood like situation in the low lying areas. The water level of Alaknanda and Bhagirathi rivers has already crossed the danger mark prompting authorities to issue an alert.

The water level of Alaknanda river in Srinagar Garhwal has reached one meter above the danger mark. Amid the worsening flood situation, a total of 7000 cumecs of water has been released from the dam of the Srinagar Hydroelectric Project, which has flooded the low lying areas.

For All Latest Updates Follow Us

TAGGED: Ganga Water Enters NHAI Plant NHAI Plant Haridwar NHAI Employees Trapped In The Plant Waterlogging In NHAI Plant NHAI Plant In Haridwar Flooded

ABOUT THE AUTHOR

Follow +

(PENDRIVE Photo) (08)

(89)

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
IN
I.A NO OF 2024

O.A NO OF 2024

IN THE MATTER OF:

MR. BIJENDRA KUMAR
APPLICANT

VERSUS

UTRAKHAND POLLUTION CONTROL BOARD (UKPCB) & ORS.
RESPONDENTS

AFFIDAVIT

I, BIJENDRA KUMAR C/O RUDAL URF PRAKASH CHAND, NEAR RAVIFAS MANDIR, IBRAHIMPUR, NHAGTANPUR ADIPUR URF IBRAHIM, HARIDWAR, UTTARAKHAND. PIN 249402(aged 54 Years) , do hereby solemnly affirm and declare as under :-

1. That the deponent is the applicant in above noted case and filing the additional documents and fully conversant with the facts and circumstance is competent to swear this affidavit before this Hon'ble Tribunal.

NOTARY PUBLIC
NITENDRA KUMAR
Advocate
NOTARY PUBLIC
R. No-19708
NCT DELHI
GOVT. OF INDIA

2. That the accompanying filing additional documents on direction of Hon' ble tribunal on dated 03.12.2024 , the contents of which have been read over and explained to me in my vernacular language and I admit there correctness after having been understood the same and say that they are in accordance to my instructions, briefing and narration.

3. That the accompanying additional Documents is part and parcel of this affidavit, the contents of which have been avoided repetition here for the sake of brevity only and be read as constituent body, part and parcel of this affidavit.

NOTARY PUBLIC
NITENDRA KUMAR
Advocate
NOTARY PUBLIC
R. No-19766
NCT DELHI
GOVT. OF INDIA

DEPONENT

VERIFICATION :

DEC 2024

Verified at ...., on day of .. Dec, 2024, that the contents of my above affidavit are true and

(11)

correct to my knowledge and nothing material has been concealed therefrom.

2 1 DEC 2024

DEPONENT

I identified the deponent who signed in my presence

NOTARY PUBLIC
NITENDRA KUMAR
Advocate
NOTARY PUBLIC
R. No-19708
NCT DELHI
GOVT. OF INDIA

CERTIFIED THAT DEPONENT
Sh./Ms.......................Age................
S/o, W/o, D/o ....
R/o..................
Identified by Sh..............................
has solemnly .... at Delhi
On........... that the
contents of the .... been read
& explained .... true & correct to
his/her knowledge.

NITENDRA KUMAR, NOTARY PUBLIC
Govt. of India, DELHI